प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-- ／ /प्र0क0-2/2022-23 लखनऊ :: दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

विषय-प्रदेश में मल्टीप्लेक्सेज/सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु शासनादेश दिनांक 03-12-2018 के क्रम में अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयगत सन्दर्भ में जारी शासनादेश संख्या-690/11-6-2018-एम(58)/2017 दिनांक 03.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों को जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् (अर्थात दिनांक 01.07.2017 से वर्तमान तक) से अनुदान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु अनुदान की सीमा और शर्तें निर्धारित की गयी है। संदर्भित शासनादेश के क्रम में जारी परिपत्र संख्या-5356 दिनांक 01.04.2021 में निर्धारित प्रारूप के कालम-8 में प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य एस0जी0एस0टी0 (राज्य कर) की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्पष्टता न होने के कारण परिपत्र दिनांक 01-04-2021 को अतिक्रमित करते हुए संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.12.2018 के क्रियान्यवन में एक रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (प्रान्तीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर का लाइसेंसी) द्वारा देय मासिक/त्रैमासिक रिटर्न FORM GSTR-3B में दाखिल करने के पश्चात सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्न प्रारुप के साथ निर्धारित प्रारुप में स्वतः घोषणा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया जायेगा। प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही जनपद में कई स्क्रीन पर अथवा एक से अधिक जनपदों में कई स्क्रीन्स पर प्रदर्शन किये जाने की स्थिति में प्रत्येक जनपद एवं स्क्रीन का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर निर्माण प्रोत्साहन के अन्तर्गत राज्य कर की प्रतिपूर्ति के दावे का प्रारुप

1	पंजीकृत व्यक्ति का नाम	
2	पंजीकृत व्यक्ति का GSTIN	
3	मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर का नाम व पता	
4	सम्बन्धित शासनादेश संख्या/दिनांक	
5	जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान आदेश संख्या/दिनांक	
6.	दावाकृत अनुदान की अवधि (मास/त्रैमास)	

7	अनुदान की धनराशि का विवरण			
	अनुदान की कुल अनुमन्य धनराशि	मास/त्रैमास के प्रारम्भ में अवशेष अनुदान की धनराशि	मास /त्रैमास में दावाकृत अनुदान की धनराशि	मास/त्रैमास के अंत में अवशेष अनुदान की धनराशि
	1	2	3	4
8	बैंक खाता संख्या/बैंक व शाखा का नाम/IFSC Code			

क्र0 सं0	जनपद	सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स का नाम एवं ऑडी सं0	संगत मास / त्रैमास हेतु दाखिल GSTR-3B में घोषित कर योग्य आउटवर्ड आपूर्ति की धनराशि	देय राज्य कर	देय राज्य कर के सापेक्ष अनुदान का अनुमन्य प्रतिशत	प्रतिपूर्ति योग्य राज्य कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
योग						

घोषणा/प्रमाण पत्र

मैं एतदद्वारा घोषणा/प्रमाणित करता हूँ कि प्रतिपूर्ति के दावे हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा व्यापार के क्रम में रखे जाने वाले अभिलेखों से सत्यापित हैं। निर्धारित प्रारूप के बिंदु–4 में संदर्भित शासनादेश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत अनुदान सम्बन्धी आदेश की शर्तों का पालन किया गया है।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)
पंजीकृत व्यक्ति/अधिकृत
व्यक्ति/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

02. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन मनोरंजन के कार्यो हेतु नामित अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं का मिलान जनपद में स्थित वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिपूर्ति के दावे की सकल धनराशि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत मास/त्रैमास हेतु दाखिल FORM GSTR-3B के बिंदु–6 में राज्य कर के मद में प्रदर्शित देय राज्य कर की धनराशि से अधिक नही है।

03. नामित अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार सत्यापन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर प्रतिपूर्ति विषयक आदेश का आलेख जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति अगले कार्यदिवस में जनपद के वाणिज्य कर विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के अन्दर प्रतिपूर्ति की स्वीकृत धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराते हुए प्रदेश में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्सों/ सिनेमाघरों के लाइसेंस धारकों को अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त। १०२

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय प्रभारी अधिकारी (मनोरंजन से सम्बन्धित कार्य) को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया से मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर संचालकों को अवगत करायें।
5. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

22/04/2022

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।